L/No 4807-17 dt 17-8-11

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

वित्त समिति की षष्टम बैठक का कार्यवाही विवरण

स्थल : कुलपति सभा कक्ष

दिनांक : 10 अगस्त, 2011

समय : प्रातः 11.30 बजे

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

उपस्थित सदस्यों की सूची

1	प्रो. आर. पी. यादव कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री प्रीतम सिंह, सम्भागीय आयुक्त (सदस्य) वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	प्रो. ओ. पी. छंगानी प्रति कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
4	श्री अम्बरीश मेहता कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	प्रो. अनिल के. माथुर परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	श्री एस. एन. शर्मा वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota

वित्त समिति की षष्टम बैठक के निर्णय

बैठक के प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक/पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध के क्रम में भविष्य में आयोजित बैठकों के एजेण्डा आइटम व मिनिट्स के कवर पेज के रूप में प्लास्टिक कवर्स का उपयोग नहीं किया जावे।

वि.स.क्र. 6.1 : **वित्त समिति की पंचम बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

वित्त समिति की पंचम बैठक दिनांक 07.03.2011 को दोपहर 12.30 बजे कुलपति सचिवालय भवन में प्रो. आर.पी. यादव, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

पंचम वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/VFC/11/15866-75 दिनांक 16.03.2011 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 12 से 22 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गयी।

वि.स.क्र. 6.2 : पंचम वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2011 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

पंचम बैठक वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अभी प्रबंध मंडल की बैठक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है इसलिए इसकी पालना रिपोर्ट आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।

समिति द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन उपरांत पालना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 6.3 : मृत एवं सेवा निवृत कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किये गये अधिक भुगतान एवं परिवार पेंशन की राशि रू. 14 लाख को अपलिखित करने के संबंध में।

पूर्व में महाविद्यालय के कार्मिकों के वेतन से अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि की कटौती की जाकर उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करवाया जाता था तथा कर्मचारियों को सेवानिवृति/मृत्यु पर भविष्य निधि की राशि का भुगतान संगठन द्वारा सीधे ही कर्मचारियों को किया जाता रहा है। इसी प्रकार कार्मिकों को समय–समय पर भविष्य निधि संगठन द्वारा ऋण आदि का भुगतान किया जाता रहा है किन्तु माननीय उच्च

न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2006 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2002 के फैसले का अनुमोदन किया गया है जिसके फलस्वरूप गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को भविष्य निधि संगठन के दायरे से बाहर कर दिया गया किन्तु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना तक महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सत्र 2007–08 तक भविष्य निधि संगठन द्वारा परिवार पेंशन का भुगतान किया गया है तथा विश्वविद्यालय को संगठन द्वारा वापस लौटायी गयी राशि में से पूर्व में कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में चुकायी गयी राशि की कटौती कर ली गयी जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत कर्मचारियों/मृतकर्मचारियों को भुगतान की गयी राशि विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन करनी है जो ब्याज सहित लगभग रू. 14 लाख है। इस संबंध में श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, अधिवक्ता से विधिक राय ली गयी जो निम्नानुसार थी :–

"आश्रितों को अदा कर दी गयी राशि वसूल नहीं की जाये एवं विश्वविद्यालय को अपने हितों का पुनः निर्धारण करना चाहिये।"

अतः विधिक राय के अनुसरण में एवं कार्मिकों की मृत्यु होने की अवस्था में पेंशन/परिवारिक पेंशन की अवसूलनीय राशि रू. 14 लाख अपलिखित किया जाना प्रस्तावित है। अवसूलनीय राशि की सूची एवं विधिक राय परिशिष्ट 2 पृष्ठ संख्या 24 से 27 पर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सूची का अवलोकन किया गया एवं सेवानिवृत एवं मृत कार्मिकों से राशि वसूलनीय नहीं होने के कारण विधिक राय के अनुसार राशि अपलेखन हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

वि.स.क्र. 6.4 : निविदा के प्रकाशन संबंधी मानदण्डों का निर्धारण।

निविदा का प्रकाशन (नोटिस बोर्ड के अलावा)

क्र.स.	अनुमानित लागत	नगर पालिका नियम 2007	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग II नियम 40
1	रू. 50 हजार से अधिक किन्तु 10 लाख तक।	एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र तथा एक क्षैत्रीय समाचार पत्र	<u>एक क्षैत्रीय</u> (i) एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में (ii) दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन जिनमें एक का प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो।

2.	रू. 10 लाख से अधिक	एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय समाचार पत्र	(i) दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिनमें एक का प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो। (ii) एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में (iii) किसी ट्रेड जनरल में जो निविदायें आमन्त्रित करने की विशेषज्ञता रखता हो।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा सूचना का प्रकाशन/प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप नगर पालिका नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों की तुलना में विज्ञापन पर लगभग दुगुना व्यय हो रहा है। जिसके कारण विश्वविद्यालय के हितों/कार्यो पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी निविदाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त/अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों/तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए निविदा प्रकाशन के मानदंड राजस्थान नगर पालिका (सामग्री क्रय एवं संविदा) नियम 2007 के अनुरूप निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबंध मंडल से अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 6.5 : विश्वविद्यालय में 01.01.2004 के बाद सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा 01.01.2004 के बाद सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है जिसके अनुसार कार्मिकों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती (वेतन + ग्रेड पे + मंहगाई भत्ते) अंशदान के रूप में की जाती है तथा 10 प्रतिशत अंशदान नियोक्ता द्वारा जमा कराया जाता है। राज्य सरकार के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय में 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रबंध मंडल से अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 6.6 : लेखाशाखा के कम्प्यूटीकरण के संबंध में।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त अनुभागों को शनैः–शनैः कम्प्यूटरीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में लेखाशाखा को पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। प्रारम्भ में लेखाशाखा के समस्त कार्यो (यथा केशबुक, लेजर, आय–व्यय लेखे, समस्त कार्मिकों के वेतन भुगतान संबंधित कार्य, अंशदायी प्रावधायी निधि के लेखे संधारण संबंधित कार्य आदि) को आउट सोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। समिति के सदस्यों के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को आस्थगित रखते हुए यह निर्देश दिये गये कि आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव के संबंध में कार्य की विस्तृत कार्य योजना (प्रोजेक्ट रिपार्ट) मय अनुमानित लागत प्रस्तुत की जावे।

वि.स.क्र. 6.7 : वर्दी की दरों में संशोधन के संबंध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के गठन से ही वर्दी के लिए पात्र कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, प्रयोगशाला सहायक, बुक लिफ्टर एवं सम्पदा अभियंता के अधीन कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त नर्सिंग कर्मचारियों) को राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप वर्दी की राशि का नकद भुगतान किया जाता रहा है किंतु कर्मचारी संघ द्वारा लगातार यह मांग उठायी जा रही है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियम परिनियमों के निर्माण तक राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों को अंगीकृत किया हुआ है। अतः वर्दी के पात्र कर्मचारियों को भी राजस्थान विश्वविद्यालय की दरों के अनुरूप भुगतान किया जावे। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों को देय वर्दी संबंधित आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट 3 पृष्ठ संख्या 28 पर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को आस्थगित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव के संबंध में वर्दी के हकदार कर्मचारियों की संख्या, उन्हें वर्तमान में किये जा रहे भुगतान की राशि, प्रस्ताव के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि तथा उससे विश्वविद्यालय पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की गणना कर प्रस्तुत की जावे।

वि.स.क्र. 6.8 परामर्श व परीक्षण शुल्क के परीक्षण के संबंध में।

वि.स.क्र. 2.9 में पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक समिति का गठन किया गया था। गठित कमेटी द्वारा पत्र क्रमांक RTUK/UCE/CED/F(102)2011-12/233 दिनांक 13.07.2011 द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है जो परिशिष्ट 4 पुष्ठ सं. 29 से 43 तक माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मंडल के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी होने की तिथि से परीक्षण/परामर्श शुल्क का भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 6.9 आयकर रिटर्न वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 के फार्म संख्या 24 व 26 के भरने में हुई त्रुटियों के संबंध में।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भूटोरिया गणेशन एण्ड कम्पनी, कोटा द्वारा वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक के फार्म संख्या 24 Q व 26 Q भर कर NSDL के माध्यम से आयकर विभाग को Submit किये गये थे। जिनमें नियोक्ता का अंशदान आय में जोडने तथा धारा 80 सी की छूट कर्मचारियों को नहीं दिये जाने के कारण आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय पर बकाया मांग व उस पर ब्याज निकालते हुये आयकर अधिनियम की धारा 201(1), 226 (B) व धारा 148 के तहत नोटिस जारी किये गये। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या 389–92 दिनांक 16.07. 2011 से वर्णित पत्रों से भूटोरिया गणेशन कम्पनी कोटा को आयकर रिटर्न संशोधित करने हेतु लिखा जाता रहा किन्तु फर्म भूटोरिया गणेशन कम्पनी, कोटा द्वारा न तो रिटर्न संशोधित किये तथा न ही पत्रो का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। जिसके कारण विश्वविद्यालय को अन्य एजेन्सी से उक्त कार्य करवाने पडे। इसी बीच आयकर विभाग द्वारा सर्वे कार्यवाही कर विश्वविद्यालय के बैंक खाते से राशि रू. 1.47 करोड का डी.डी. बकाया कर देयता के रूप में बैंक से चाहा गया। जिसके लिए विभाग द्वारा आयकर विभाग के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जिससे विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा एवं अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडा। अतः प्रकरण अवलोकनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरांत प्रकरण प्रशासनिक होने के कारण संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 6.10 एयर कंडीशनर क्रय किये जाने के संबंध में।

निदेशक,यू.सी.ई. द्वारा कम्प्यूटर एवं भाषा विभाग के लेब के लिए 2 टन क्षमता, कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग लेबोरेटरी हेतु 2 टन क्षमता के क्रमशः 4 व 8 एयरकंडीशनर्स Split AC तथा इलेक्ट्रीकल इन्जि. हेतु 1.5 Ton क्षमता के 4 Window AC क्रय करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जिस पर अनुमानित रू. 6.00 लाख व्यय होने के सम्भावना हैं इसके साथ ही वित्त अधिकारी कक्ष के क्षैत्रफल

के हिसाब से एक Split AC पर्याप्त नहीं है एवं अन्य अधिकारियों के कक्षों के लिए 2 Window AC क्रय किये जाने प्रस्तावित है।

अतः कुल 14 Split AC 2 Ton क्षमता तथा 4 Windpow AC (1.5 Ton क्षमता) क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिस पर कुल व्यय 7.00 रू. लाख का खर्चा होगा। माननीय सदस्यों के समक्ष अवलाकनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए नये सिरे से औचित्यपूर्ण मांग निर्धारित करने एवं Window AC के स्थान पर Split AC लगाये जाने की अनुशंषा की गयी।

वि स क्र. 6.11 विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों के निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षकों के मानदेय के संबंध में।

विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थानों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों के अनुरूप तकनीकी शिक्षण संस्थानों को संचालित करने हेतु अपने स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार अकादमिक निरीक्षण करवाया जाता है। इस निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय प्रत्येक संस्थान के लिए एक निरीक्षण दल गठित करता है ।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के द्वारा गठित निरीक्षण दल के सदस्यों को एक निश्चित राशि मानदेय के रूप में भुगतान की जा रही है। यह राशि चतुर्थ वित समिति की बैठक (4.11) में अनुमोदित है।

उपरोक्त मानदेय की राशि में संशोधन संलग्न सारणी के अनुसार यथा प्रस्तावित है। सारणी परिशिष्ट संख्या 5 पुष्ठ संख्या 44 पर माननीय सदस्यों के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मंडल के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी होने की तिथि से नवीन दरों पर भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 6.12 पाठ्यक्रम प्रारंभ नही करने वाले संस्थानों से सम्बद्धता शुल्क राशि में से प्रशासनिक व्यय की कटौति के संबंध में।

कुछ संस्थायें नवीन पाठ्यक्रमों/महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु सम्बद्धता शुल्क/सम्बद्धता शुल्क पर शास्ती एवं निरीक्षण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि 31 दिसम्बर तक या इसके पश्चात विश्वविद्यालय में जमा करवा देती है। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय प्रारंभ नही करते है ऐसी स्थिति में इन संस्थाओं द्वारा जमा करवायी गयी शुल्क की राशि वापसी हेतु आवेदन विश्वविद्यालय को करते हुए धन वापसी की मांग की जाती है।

इस सबंध में चतुर्थ वित समिति की बैठक में एजेण्डा आईटम सं0 4.14 पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि भजो संस्थायें पाठ्यक्रम/महाविद्यालय प्रारंभ नही करते है ऐसी संस्थाओं द्वारा धन वापसी हेतु आवेदन करने पर सम्बद्धता शुल्क राशि पर 25 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में कटौती करते हुए शेष राशि वापसी लौटा दी जाव।

वित्त समिति के उक्त निर्णय की व्याख्या अस्पष्ट है चूंकि संस्थायें सम्बद्धता शुल्क के साथ नियत तिथि के पश्चात जमा सम्बद्धता शुल्क पर विलम्ब/शास्ती शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क की राशि भी विश्वविद्यालय में जमा करवाती है इसलिए यहॉ यह स्पष्ट किया जाना उचित प्रतीत होगा कि प्रशासनिक व्यय की कटौती केवल सम्बद्धता शुल्क की राशि पर की जानी है या संस्थान द्वारा जमा समस्त धन राशि (सम्बद्धता शुल्क, विलम्ब/शास्ती शुल्क व निरीक्षण शुल्क) पर की जानी है। प्रकरण माननीय सदस्यों के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर संस्था द्वारा जमा सम्बद्धता राशि (सम्बद्धता शुल्क, विलम्ब/शास्ती शुल्क) पर 25 प्रतिशत की कटौती करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 6.13 संस्थान, जो शून्य सत्र (Zero session) घोषित कर सम्बद्धता शुल्क के समायोजन/छूट (Waive off) हेतु आवेदन के संबंध में

ऐसे संस्थान जो शून्य सत्र (Zero session) घोषित करते हुए सम्बद्धता शुल्क का आगामी सत्र में समायोजन/चालू सत्र में छूट प्रदान करने हेतु आवेदन करते है। ऐसे संस्थानों का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार है –

(अ) ऐसे संस्थान, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम/ब्रॉच संचालित करने हेतु अनुमोदन कर दिया जाता है किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम/ब्रॉच प्रांरभ नही करते है एवं प्रवेश परीक्षाओं की काऊन्सलिंग में भी हिस्सा नही लेते है।

(ब) ऐसे संस्थान जो कि नवीन पाठ्यक्रम/ब्रॉच प्रारंभ करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में आवेदन करने के साथ विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क नियत तिथि तक जमा करवा चुके है। प्रवेश परीक्षाओं की काऊन्सलिंग में भाग लेते है, लेकिन काउंसलिंग में कोई छात्र आवंटन न होने की दशा में सम्बद्धता शुल्क का समायोजन आगामी सत्र में करने हेतु आवदेन करते है।

(स) ऐसे संस्थान, जो किसी पाठ्यक्रम/ब्रांच में पूर्ववर्ती सत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन उपरान्त संचालित है तथा वर्तमान सत्र में कोई छात्र आवंटन न होने के कारण सम्बद्धता शुल्क में छूट (Waive off) चाहते है एवं आगामी सत्र में पुनः पाठ्यक्रम/ब्रॉच संचालित करना चाहते है।

उपरोक्त तीनों श्रेणियों के संस्थानों से विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क जमा करवाने के संबध में निर्णय वित्त समिति में करवाये जाने हेतु प्रकरण माननीय सदस्यों के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित तीनों श्रेणियों के लिए विस्तृत प्रस्ताव स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 6.14 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2009–10 में शामिल करने हेतु जारी किये गये ड्राफ्ट पैराग्राफ "बकाया शास्ति की वसूली किये बिना निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना"।

महालेखाकार राजस्थान द्वारा निरीक्षण अवधि 01.04.2007 से 31.03.2008 भाग II अ के पैरा 2 में सम्बद्धता शुल्क के लिए आवेदन के लिए निर्धारित तिथियों में अनियमित रूप से शिथिलता प्रदान कर विभिन्न संस्थाओं को अदेय लाभ पहुंचाने बाबत पैरा लिया गया तथा महालेखाकार राजस्थान के पत्रांक 1116 दिनांक 11.11.2009 द्वारा प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा को अर्द्धशासकीय पत्र लिख कर तथ्यात्मक विवरण चाहा गया। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में विश्वविद्यालय द्वारा महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना भिजवाई गई। इसके अतिरिक्त महालेखाकार के पैरा में की गयी टिप्पणीनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तिथियों में वृद्धि करने के प्रकरण को कार्यालय पत्रांक एफ(1)ग्रुप–1/2009/1816 दिनांक 30.11.2009 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए कुलाधिपति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक एफ.34(2)आरबी/2010/980 दिनांक 25.02.2010 द्वारा वांछित सूचना पुनः पत्रांक एफ(17)ग्रुप–1/2009/16536 दिनांक 25.03.2010 द्वारा राज्यपाल को भिजवाई गयी थी।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 6413 दिनांक 01.12.2010 से प्रकरण में मार्गदर्शन दिया गया है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गयी है जिसमें महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के अनुमोदन की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है। (प्रति संलग्न) परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 45 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

1 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना फरवरी 2006 में हुई थी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकर द्वारा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए की गयी थी, इससे पूर्व राजकीय तकनीकी महाविद्यालय एवं निजी तकनीकी महाविद्यालय सभी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध थे।

2 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.23(2)त.शि./2006 दिनांक 09.06.2006 के अनुसार विश्वविद्यालय का अधिकार

क्षेत्र निर्धारित किया गया था तथा 101 तकनीकी संस्थानों (इन्जिनियरिंग/आर्किटेक्ट/मैनेजमेंट/एम.सी.ए./होटल मैनेजमेंट आदि संकाय) को अन्य विश्वविद्यालयों से असम्बद्ध कर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से समबद्ध किया गया था, कई संस्थान पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2005 को जमा करवा चुके थे। अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उन संस्थानों की सम्बद्धता शुल्क राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में जमा मानी जावेगी तथा उक्त संस्थान शेष सम्बद्धता शुल्क राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में जमा करवा देंगे। तदनुरूप विभिन्न संस्थानों से प्राप्त ज्ञापन पर प्रबंध मंडल की बैठक में विचार किया गया तथा सभी संस्थानों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा नोटिफिकेशन आदेश क्रमांक 3601 दिनांक 21.07.2007 के तहत सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की तिथि 31.08.2007 बिना विलम्ब शुल्क के तथा इसके बाद विलम्ब शुल्क जो मूल शुल्क के बराबर रखी गई है, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 31.12.2007 निर्धारित की गयी इसके पश्चात 01.01.2008 से 31.03.2003 तक शुल्क तथा विलम्ब को दो गुना वसूलने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुरूप समस्त संस्थानों से सम्बद्धता शुल्क वसूल किया गया।

3 दिनांक 31.08.2007 के बाद सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 2035–2151 दिनांक 12.09.2006 के अनुसार ही रखी गई तत्कालीन परिस्थितियों में जबकि सम्बद्धता शुल्क वसूलना कठिन कार्य था, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में उचित समन्वय नहीं होने तथा विभिन्न नये तकनीकी शिक्षण संस्थानों के विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्रकरण लम्बे समय तक विचाराधीन रहने तथा उनके निस्तारण के लिए यह निर्णय आवश्यक था।

अतः उक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए सम्बद्धता शुल्क के लिये आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथियों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी शिथिलता का अनुमोदन हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विचार विमर्श कर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुये प्रकरण को आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

वि.स.क्र. 6.15 नयी कार क्रय करने के संबंध में।

विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)त.शि./2002/पार्ट 11 दिनांक 26.08.2010 में माननीय कुलपति महोदय के उपयोग हेतु एक नई कार Maruti Swift Desire VXI क्रय करने की स्वीकृति जारी की गयी थी क्योंकि माननीय कुलपति को विश्वविद्यालय कार्यो से प्रदेश के दूरस्थ

क्षेत्रों में यात्रा करनी पडती है। जिसके लिए सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से मध्यम दर्जे का वाहन का उपयोग आवश्यक है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06. 2010 के अनुसार वाहन क्रय के संबंध में वांछित शिथिलता अपरिहार्य कारणों आवश्यक होने पर संचालक मंडल को निर्णय लेने का प्रावधान किया है। तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्र व वित्त विभाग का परिपत्र परिशिष्ट 7 पृष्ठ संख्या ... से ... पर प्रस्तुत है।

अतः माननीय कुलपति महोदय के विश्वविद्यालय/राजकार्य हेतु एक नई कार "Innova" क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति (अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख) हेतु प्रकरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में विचार विमर्श कर राज्य सरकार वित्त विभाग (आय व्ययक अनुभाग) के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)/आ.व्यय/2010 दिनांक 30.06.2010 के अन्तिम पैराग्राफ के अनुसार वांछित शिथिलता प्राप्त करने के लिए प्रबंध मंडल से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 6.16 विश्वविद्यालय के कार्मिकों को उपादान का भुगतान राजस्थान सेवा नियम 55 I के अनुसार करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने के फलस्वरूप उपादान का भुगतान दिनांक 01.01.2007 से रू. 3.50 लाख से बढ़ाकर रू. 10 लाख कर दिया है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशानुसार छठे वेतनमान का लाभ दिया जाकर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उक्त नियम के अनुसार दिनांक 01.01.2007 के पश्चात सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को उपादान राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम रू. 10 लाख की सीमा तक दिया जाना प्रस्तावित किया गया था।

समिति द्वारा आवश्यक विचार विमर्श उपरांत विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी राज्य सरकार के उपादान आदेशों के अनुरूप दिनांक 01.01.2007 से उपादान राशि की सीमा अधिकतम रू. 10.00 लाख किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा इसकी पुष्टि आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलपति
(अध्यक्ष)
वित्त समिति

वित्त अधिकारी
(सदस्य सचिव)
वित्त समिति

टेबल एजेण्डा

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 6.1 :

अभियांत्रिकी स्नातक परीक्षा (बी.टेक.) हेतु समेकित मानदेय पर गेस्ट फेकल्टी नियुक्ति की संबंध में।

संघटक अभियान्त्रिकी महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण (180 छात्र) विभिन्न संकायों में गेट फेकल्टी नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। पूर्व में गेस्ट फेकल्टी के लिए रू. 200/– प्रति घण्टे की दर से मानदेय दिया जाता था किन्तु निदेशक (यू.सी.ई.) द्वारा पूर्णकालिक गेस्ट फेकल्टी लेक्चरर्स समेकित वेतन पर नियुक्त किये जाने के निम्नानुसार अभिशंषा की है :–

1 Candicate having B. Tech /M.Sc. Qualifacation : Rs 15000/-Per Month
2 Candicate having M. Tech /MBA/Ph. D. Qualifacation :Rs 18000/-Per Month

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा यह राय व्यक्त की गयी कि समेकित मानदेय पर गेस्ट फेकल्टी नियुक्ति के सबंध में अन्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुरूप प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 6.2 :

केन्द्रीयकृत मूल्यांकन हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में।

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन प्रणाली अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन की उपरी मंजिल में तीन हॉल में फर्नीचर लगवाया जाना है। जिस पर कुलपति महोदय द्वारा तीन के स्थान पर दो हॉल में फर्नीचर लगवाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। फर्नीचर लगवाने पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रू. 7 लाख है।

जिसके लिए प्रकण समिति के सदस्यों के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा फर्नीचर क्रय की सहमति प्रदान करते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेख नियमों के अनुसार खुली निविदा से क्रय करने के निर्देश दिये गये।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 6.3 :

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की फीस एवं परीक्षा उपरांत परिणाम तैयार किये जाने तक देय विभिन्न पारिश्रमिक की दरों का प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक द्वारा संलग्न सारणी अनुसार प्रस्तुत किया गया है, परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मय सारणी माननीय सदस्यों के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था।

समिति के सदस्यों द्वारा पूर्व में लागू परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा कार्यो हेतु (पेपर सेटिंग, मूल्यांकन, पुर्न मूल्यांकन, अन्य पारिश्रमिक एवं परीक्षा शुल्क की प्रस्तावित दरों के स्थान पर पूर्व में स्वीकृत दरों में 50 प्रतिशत की सीमा में (संलग्न सूचि के अनुसार) वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके साथ ही सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष 1000/– रू. प्रति छात्र की दर से विकास शुल्क में यथा प्रस्तावित वृद्धि किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

कुलपति
(अध्यक्ष)
वित्त समिति

वित्त अधिकारी
(सदस्य सचिव)
वित्त समिति

Paper Setting:

S. No.	Name of Examination	Existing Rate Rs.	Approved Rate
1	**MBA/ MCA**		
	For setting each question paper in full	500.00	750.00
	For setting each section of the question paper (A or B)	250.00	375.00
	For marking each Answer book in full or part with a minimum of Rs. 300/-	15.00	25.00 (Min. 500/-)
	Each Head-examiner for Supervising the work of his Co-examiner	200.00	300.00
	For examining each candidate in Viva-Voce in MBA (Day) with a minimum of Rs. 300/- to each Examiner (Internal/ External)	10.00	15.00
	For conducting the Viva-Voce test (wherever prescribed on the thesis/dissertation/Project for the above examinations), per candidate with a minimum of Rs. 600/- to each examiner	20.00	30.00 (Min. 600/-)
	For Reading the M.B.A. Project Report (Day) (Internal and External Examiner) per candidate.	50.00	60.00 (Min 500/-)
2	**B.E., B.Tech., B.Arch.**		
	For setting each question paper in full	500.00	750.00
	For setting each section of a paper	250.00	375.00
	For marking each Answer book (with a minimum of Rs. 300/-)	15.00	25.00 (Min 500/-)
3	**P.G. Diploma in the Faculty of Engineering M.E./ M. Tech.**		
	For setting each question paper	800.00	1200.00
	For examining thesis to each examiner	800.00	1200.00
	For marking each Answer book (with a minimum of Rs. 300/-)	20.00	30.00 (Min 500/-)
4	**Doctorate Degree**		
	For reading the Thesis of Ph.D.	800.00	1200.00
	For practical/ Viva-Voce Examination for Ph.D.	500.00	750.00
	For reading the Thesis of D.Litt. or D.Sc. Degree	1500.00	2250.00
	For Viva-Voce examination of D.Litt. or D.Sc.	800.00	1200.00
5	**M. Phil Examination**		
	For setting each question paper in full	600.00	900.00
	For marking each Answer book (with a minimum of Rs. 300/-)	30.00	45.00
	For assessing the Dissertation and conducting Viva-Voce	400.00	600.00
6	Solution of the paper (UG & PG)	---	2000.00
7	Soft copy of the paper (UG & PG)	--	200.00

Practical Examinations

		Existing Rate Rs.	Approved Rate
1	**B.E., B.Arch., B.Tech.**		
	For practical/clinical, quiz & practical training including Viva-Voce per candidate to each external and internal examiner (with a minimum of Rs. 600/- to each external and internal examiner) **[Revision issued vide office order no. RTU/F(23) Exam-2/2006/253-254 dtd. 09-01-2007 of UG courses "Remuneration for Practical/ Sessional Exams to Internal & External Examiners is not admissible]**	15.00	25.00 Min. 1000.00
2	**M.E./ M.Tech/ M.Arch./ Written Analysis of Cases (WAC) of MBA (Day)**		
	For Practical Quiz and Viva-voce and Practical Training per candidate to each external and internal examiner (with a minimum of Rs. 800/- to each external and internal examiner)	30.00	45.00 (Min 800/-)

Remuneration for Revaluation

The rate of remuneration for revaluating the Answer-books of various examinations shall be double the rate of remuneration prescribed for evaluation of the Answer-books for such examination in the subject/paper concerned, Minimum charges for revaluation of answer books will be Rs. 50/- **(Revised 75/-)**

Deductions shall be made from the remuneration bills unless condoned by the University in special cases. Details for the deductions are as under:

S. No.	For Delay	Deductions	Approved Rate
1	Delay in despatching marks to Principal/ Coordinator/ University	Rs. 50/- per day	Rs. 75.00 per day
2	Delay in returning the marked answer books	Rs. 50/- per day	Rs. 75.00 per day
3	Delay in dispatching the examiners report	Rs. 10/- per day	Rs. 15.00 per day
	For Errors and Omissions		
1	Entry of marks against wrong Roll Nos.	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00 / Per Mistake
2	If marks in the award list differ from those shown on the answer books	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00/ Per Mistake
3	Omission to enter marks in the award list	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00/ Per Mistake
4	Omission to write absent in the award list	Rs. 10/- per mistake	Rs. 15.00/ Per Mistake
5	Omission to assess an answer or part thereof	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00/ Per Mistake

6	If marks in the award list differ in words and figures	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00/ Per Mistake
7	Omission to fill in the bottom entries in the award-list	Rs. 20/- per leaf	Rs. 30.00/ Per Mistake
8	Posting of marks in a wrong order i.e. not in the Ascending order of Roll No.	Rs. 20/- per leaf	Rs. 30.00/ Per Mistake
9	Any other mistake found on scrutiny of answer books	Rs. 50/- per mistake	Rs. 75.00/ Per Mistake

Examination fees:

Course		Existing Fee	Approved Fee
Under Graduate	**Main Exam.** For examination conducted annually	Rs. 1000/- per examination for annual scheme	Rs 1500/-
	For examination conducted per semester without project work	Rs. 750/- per semester	Rs. 1000/-
	For examination conducted per semester with project work	Rs. 1000/- per semester	Rs 1500/-
	Back Exam. For examination conducted annually	Rs. 250/- each subject with maximum equal to fee for main examination	Rs. 375/-
	For examination conducted per semester		
	Back Exam. **Project Exam.**	Rs. 250/-	Rs 375/-
	Improvement in sessional and/or term tests	Rs. 50/- per subject	Rs. 75/-
Post Graduate Degree & Diploma	**Main Exam.** For examination conducted annually	Rs. 1500/-	Rs. 2250/-
	For examination conducted per semester	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
	Back Exam. For examination conducted annually	Rs. 250/- each subject with maximum equal to fee for main examination	Rs. 375/-
	For examination conducted per semester		
	Thesis/Project	Rs. 500/-	Rs. 750/-
Doctoral/Post Doctoral	Student Registration	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
	Renewal of Registration	Rs. 750/-	Rs. 1250/-
	Synopsis presentation	Rs. 1500/-	Rs. 2250/-
	Thesis Submission including Evaluation	Rs. 1500/-	Rs. 2250/-
	Re-submission of thesis if re-evaluation by previous examiner has been desired	Rs. 1500/-	Rs. 2250/-

Examination Late fee (In addition to examination fee)

1.	Student Late fee • Delay upto 10 days	Equal to the examination fee
	• Beyond 10 days but not beyond 15 days of the last date without late fee (explicit written permission from V.C., RTU shall be obtained by the student).	Double the examination fee
2.	Late fee to be paid by colleges (Payable for delay in forwarding information /documents)	—
3.	a) Mistakes/lapses committed by the college	—
	b) Mistakes/lapses removed within a week's time from the date of the information sent to the college, otherwise Rs. 500/- per day (late receipt of completed document with removal of mistakes/lapses) will be further imposed on college in addition to Rs. 5,000/-	—

C. **Fee for Degree, Provisional Certificate and Consolidated Mark Sheets** at the end of course (To be deposited with the examination fee for the examination after which the degree is schedule to be awarded). **Rs. 500/- (Revised) Rs. 750/-**

D. **Re-valuation Fee:** **Rs. 200/-** Each theory subject. No revaluation permitted if the candidate has appeared in the subject as a candidate for back examination. (Rs. 300/-

Enrollment Form Checking Charges :

S. No.	Activity/Item	Existing Fee	Approved Fee
1	Enrollment Form checking	Rs. 10/- per form	Rs. 15/- per form

Enrolment fee

S. No.	Activity/Item	Existing Fee	Approved Fee
1.	Enrollment Fee		
	• Raj. Board/Universities in Raj. State/Board of Technical Education, Jodhpur	Rs. 200/-	Rs 300/-
	• CBSE & other Central Boards (IGNOU, NIOS)	Rs. 300/-	Rs. 450/-
	• Other than Raj. & Central board/University in India	Rs. 500/-	Rs. 750/-
	• All other cases (NRI, Foreign students)	Rs. 5000/-	Rs. 7500/-
2.	Issue to Duplicate Enrollment card	Rs. 100/-	Rs. 150/-
A.1 Late Fee for Enrollment in addition to normal fee (per student)			
1.	Student Late fee		
	• delays of upto 15 days	Rs. 100/-	Rs. 150/-
	• Beyond 15 days upto 30 days	Rs. 250/-	Rs. 375/-
	• For submission of documents separately after submission of enrollment form (Each Installment)	Rs. 250/-	Rs. 375/-
2.	Late fee to be paid by colleges (Payable for delay in forwarding the information/documents) at first time.	Rs. 1000/- per day of delay	Rs. 1500/-
3.	a) Mistakes/lapses committed by the college.	Rs. 500/- per form penalty subject to max. penalty of Rs. 10,000/-	Rs. 750/- Penalty Rs. 15000/-
	b) Mistakes/lapses removed within a week's time from the date of the information sent to the college otherwise Rs. 1000/- per day (late receipt of completed document with removal of mistakes/lapses) will be further imposed on college in addition to Rs. 10,000/-.	-----	—

Centre Charges:

For all the candidates Rs. 3.50/- **(Revised Rs. 5.00/-)** per candidate registered for the examination at the centre will be paid as per UOR norms, this includes arrangement, for cold water during summer, arrangement of fans/lighting/drawing sheets/graphs etc. No other charges will be admissible.

Rates of Payment:	Existing	Approved
(i) Ministerial Staff (Class III)	Rs. 40.00 per session	(Rs. 50/-)
(ii) Daftari	Rs. 30.00 per session	(Rs. 40/-)
(iii)Peon	Rs. 30.00 per session	(Rs. 40/-)
(iv)Electrician, Plumber and Chowkidar	Rs. 20.00 per session	(Rs. 30/-)
(v) Sweeper	Rs. 15.00 per session	(Rs. 20/-)

The scale of honorarium to the C.Ss, A.C.Ss, D.C.Ss, R.Ss and R.Os for the main as well as supplementary examinations of the University will be as follows:

Level of Staff	Per day of 1 session of up to 4 hrs. each	Per day of 2 session of up to 4 hrs. each	Per day of 3 session of up to 4 hrs. each
C.S.	Rs.150.00 (Rs. 200.00)	Rs. 200.00 (Rs. 300.00)	Rs. 300.00 (Rs. 400.00)
A.C.S.	Rs.100.00 Rs. 150.00	Rs. 175.00 Rs. 225.00	-------
D.C.S.	Rs. 80.00 Rs. 120.00	Rs. 150.00 Rs. 200.00	
R.S.	Rs. 70.00 Rs. 100.00	-------	-------
R.O.	Rs. 70.00 Rs. 100.00	-------	-------

N.B:-

(i) Where the duration of a question paper is more than four hours, the invigilators shall be paid for two sessions,

(ii) Rs. 35/- per session as conveyance charges is to be paid to C.S./ A.C.S./ D.C.S/ R.Ss/ R.Os who will be assigned examination work at the examination centre during summer vacation.

Miscellaneous Fee

S.No.	Item	Existing Fee	Approved Fee
1.	Duplicate Mark list for annual/semester examination	Rs. 150/- each mark sheet+Rs.50/- for each elapsed academic year	Rs 250/- Flat
2.	Issue of consolidated mark sheet for each academic session	Rs. 300/- each academic session+Rs.50/- for each elapsed academic year	Rs. 400/-
3.	Duplicate copy of consolidated mark sheet for the course	Rs. 500/- each mark sheet+Rs.50/- for each elapsed academic year	Rs. 750/-
4.	Duplicate copy of provisional certificate	Rs. 500/- + Rs. 50/- for each elapsed academic year	Rs. 750/-
5.	Duplicate Degree	Rs. 1000/- + 50/- for each elapsed academic year	Rs. 1500/-
6.	Issue of verified and sealed transcripts	Rs. 200/- each transcript	Rs. 300/- Each Transcript
7.	Correction in mark sheets	Rs. 100/- each mark sheet	Rs. 150/-
8.	Change of Name of student*	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
9.	Change of Branch of student*	Rs. 250/-	RS. 375/-
10.	Change of college of student*	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-
11.	Verification of genuineness of student record	Rs. 150/- each set	Rs. 225/-
12.	Late submission of marks or each component i.e. practical, sessional, term test, Internal assessment (To be paid by college)	Rs. 1500/- per subject per examination per component.	

Coordinator remuneration for assessment of Answer Books :

S. No.	Activity/Item	Existing Rate	Approved Rate
1	Remuneration to Coordinators	Total Rs. 45/- Per Packet of Answer Books	Total Rs. 70/- Per Packet of Answer Books

Deductions shall be made from the remuneration bills of Coordinators. Details for the deductions are as under:

S. No.	For Delay	Existing Deductions Rate	Approved Deductions Rate
1	Delay in submission / dispatch of marks	Rs. 50/- per day	Rs. 75/- per day
2	Delay in submission / dispatch of marked Answer Books	Rs. 50/- per day	Rs. 75/- per day
3	Delay in submission / dispatch of examiner's report	Rs. 50/- per day	Rs. 75/- per day

Charges For Central Evaluation :

Rates of Payment:

		Existing Rate	Proposed Rate
1.	Convener -	Rs. 300/-	Rs. 450/-
2.	Advisor -	Rs. 250/-	Rs. 375/-
3.	Members (Teaching Staff)-	Rs. 200/-	Rs. 300/-
4.	Asstt. Registrar/AAO -	Rs. 150/-	Rs. 225/-
5.	Supporting/Ministerial Staff	Rs. 100/-	Rs. 150/-
6.	Class IV and Man with Machine-	Rs. 60/-	Rs. 90/-

7. Local Examiners - Rs. 30/- (45/- per day) (to and fro) would be admissible as conveyance charges for assessment at local evaluation centre in addition to their examination remuneration.

8. Refreshment:- Expenditure towards refreshment is limited to Rs. 15/- (Rs.20/-) per head per day for each examiner and the staff engaged in the evaluation work.

Development Fee :

For B. Tech./B.Arch. Existing Development Fee

Rs. 1000/- for I year, Rs. 500/- for subsequent years
Proposed Development Fee: Rs. 1000/- per Year for entire programme

For other courses (MBA/MCA etc) Existing Development Fee

Rs. 500/- per year
Proposed Development Fee: Rs. 1000/- per Year

Anil K. Malik
16.8

F.O.

16-8-11